


464, 465, 809, 812 कुल किता 4 कुल रकबा 10-01 बीघा आराजियात का बहस वाद मे
 नई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के
 होकर होने से उसके हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड
 भाजन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे खाता पृथक-पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया
 है। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती हैं।

:: आदेश ::

दिनांक - 07.06.2016

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम बामणिया प0ह0 बामणिया
 निरीक्षक क्षेत्र वृत्त उपरेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या
 3 की आ0न0 464, 465, 809, 812 कुल किता 4 कुल रकबा 10-01 बीघा मे वादी व
 विवादी संख्या 1 हक हिस्से अनुसार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त
 किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा किया
 है। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड
 भाजन करते हुये विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी
 अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2016 को खुले न्यायालय राजस्व
 क अदालत केम्प बामणिया मे सुनाया गया।


 (संजय माथुर)
 उपखण्ड अधिकारी,
 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बामणिया तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

अधीकारी - श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

संख्या : 13/2014 राजस्व वाद

उनवान

मूरसिंह पिता मूर सिंह राजपूत निवासी बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

— (वादीगण)

बनाम

मूरसिंह पिता मूरसिंह राजपूत निवासी बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

अदालत अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. श्री कं0कं0 जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक:- 07.06.2016

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी गण जारी की
गई है एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीशनर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम
बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा का भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र वृत्त उपरेड़ा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत
2013 से 2013 खाता संख्या 333 की आ0न0 464, 465, 809, 812 कुल किता 4 कुल रकबा
464 बीघा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 18-21
के अन्तर्गत विभाजन सूची तैयार कर विभाजन सूची मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक
07.06.2016 तक प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा